बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
कौटिल्य नगर, पटना–14.

फोन नं0– 2223727
फैक्स नं0–2224529

निविदा सूचना संख्या– 06/2022–23

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक– 27–05–2022
3. निविदा कागजात बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक– 04–07–2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से 07–07–2022 अपराह्न 05.00 बजे तक ।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक– 08–07–2022 को अपराह्न 03.00 बजे तक ।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक– 08–07–2022 **को 03.30 बजे** अपराह्न से ।
6. परिमाण विपत्र का मूल्य : **Easypay.axisbank.co.in के द्वारा किया गया** भुगतान ही स्वीकार होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा।
7. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान : (क) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय ।
   (ख) अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, बि0पु0भ0नि0नि0, गेट न0–2. पटना ।
   (ग) सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल
8. निविदा प्राप्ति का स्थान : (क) रू0 3.50 लाख से नीचे की निविदा संबंधित कार्य प्रमण्डल में
   (ख) रू0 3.50 लाख से उपर की निविदा बि0पु0भ0नि0नि0, मुख्यालय एवं अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, बि0पु0भ0नि0नि0, गेट न0–2. पटना ।
9. कार्य का विवरणी :– :

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य0 अभि0, बि0पु0भ0 नि0 नि0, कार्य प्र0	प्राक्कलित राशि (लाख रू. में)	अग्रधन की राशि रू. में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रू0 में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	भागलपुर जिलान्तर्गत पुलिस उप– महानिरीक्षक, पूर्वीय क्षेत्र भागलपुर के आवासीय परिसर में गार्डरूम का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	7.47	15000	1250	2 माह
2.	भागलपुर जिलान्तर्गत वरीय पुलिस अधीक्षक, आवास के गार्ड रूम का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	5.14	10300	1250	2 माह
3.	भागलपुर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में पदाधिकारी आवास सं0–01 का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	9.34	18700	1250	2 माह
4.	बॉका जिलान्तर्गत कटोरिया थाना में थाना भवन का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	9.81	19700	1250	2 माह
5.	बॉका जिलान्तर्गत चांदन थाना का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	7.94	15900	1250	2 माह
6.	बॉका जिलान्तर्गत रजौन थाना में पुराना आवासीय भवन का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	7.00	14000	1250	2 माह
7.	नवगछिया जिलान्तर्गत बिहपुर थाना में पदस्थापित अन्य पदाधिकारी के आवास का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	4.67	9400	750	2 माह
8.	नवगछिया जिलान्तर्गत परबत थाना में 04 यू0 एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	5.60	11200	1250	2 माह
9.	भागलपुर जिलान्तर्गत सी0टी0एस0 नाथनगर में बैरक सं0–16 के सामने शौचालय का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	8.69	17400	1250	2 माह
10.	भागलपुर जिलान्तर्गत सी0टी0एस0 नाथनगर स्थित मेस सं0– 06 का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	7.00	14000	1250	2 माह
11.	भागलपुर जिलान्तर्गत सी0टी0एस0 नाथनगर में बैरक सं0–11 के पीछे स्थित तीन यूनिट 10 सीटेड बाथरूम का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	9.71	19500	1250	2 माह
12.	भागलपुर जिलान्तर्गत सी0टी0एस0 नाथनगर स्थित मेस सं0– 08 का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	8.87	17800	1250	2 माह

कृ0पृ0उ0....2/

13.	भागलपुर जिलान्तर्गत सी0टी0एस0 नाथनगर स्थित मेस सं0— 09 का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	भागलपुर	9.71	19500	1250	2 माह
14.	नवगछिया पुलिस जिलान्तर्गत ढोलबज्जा ग्रेड–3 थाना का विद्युतिकरण सहित रंग–रोगन एवं मरम्मति कार्य।	भागलपुर	7.48	15000	1250	2 माह
15.	गया जिलान्तर्गत विशेष कार्य बल बिहार, पटना के अभियान भवन, बोध गया में निर्मित बाथरूमों का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	मगधप्र0 कैम्प डेहरीऑनसोन	2.86	5800	750	2 माह
16.	गया जिलान्तर्गत नगर पुलिस अधीक्षक के आवास का मरम्मति कार्य।	मगधप्र0 कैम्प डेहरीऑनसोन	4.59	9200	750	2 माह
17.	गया जिलान्तर्गत नगर पुलिस अधीक्षक गोपनीय कार्यालय का मरम्मति कार्य।	मगधप्र0 कैम्प डेहरीऑनसोन	2.80	5600	750	2 माह
18.	सिवान जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में शस्त्रागार का मोर्चा का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	2.80	5600	750	2 माह
19.	सिवान जिलान्तर्गत मुफस्सिल थाना में 02 यू0एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	6.35	12700	1250	2 माह

10. निविदा वैधता की अवधि 60 दिन होगी ।

11. कोई भी संवेदक जो समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं (स्थानीय क्षेत्र के लिए निबंधित निबंधन सिर्फ स्थानीय कार्य के लिए मान्य होगा), परन्तु कार्य आवंटन आदेश होने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

12. विद्युतीकरण कार्य सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का **शपथ–पत्र मूल में** समर्पित करना अनिवार्य होगा । सिर्फ विद्युतिकरण कार्य के लिए विद्युतिकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा ।

13. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखी जा सकती है । इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तद्नुसार किया जा सकता है ।

14. ऐसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं :– (i) जिनके निबंधन को निलंबित किया गया है या जिनका नाम काली सूची में दर्ज है, (ii) जिन पर निर्मित/निर्माणाधीन भवनों में मुख्यालय से गठित जाँच दल द्वारा गुणवत्ता से संबंधित त्रुटियाँ प्रतिवेदित हो।

15. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात घट/बढ़ सकती है। तद्नुसार अग्रधन की राशि भी घट / बढ़ सकती है। निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। समुचित अग्रधन राशि के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी।

16. **परिमाण विपत्र का मूल्य easypay. axisbank.co.in (Category-others) online भुगतान करने के उपरान्त प्राप्त Challan प्रस्तुत करने पर स्वीकार होगा। भुगतान से संबंधित link website (bpbcc.co.in) पर भी उपलब्ध है।**

17. निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी तथा संबंधित नियम एवं शर्तें लागू होगी।

18. परिमाण–विपत्र बिक्री के समय संवेदक निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे एवं उनकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :– आयकर पैन नं0, GST निबंधन, उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण–पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण–पत्र ।

19. निविदा के साथ भी निम्नलिखित सभी अद्यतन प्रमाण– पत्रों की पठनीय स्वप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी । अद्यतन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की **प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा**। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।
    - (i) उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण–पत्र।
    - (ii) कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
    - (iii) पैन कार्ड की छायाप्रति।
    - (iv) GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
    - (V) वैध चरित्र प्रमाण पत्र।
    - (vi) अग्रधन की राशि (EMD)
    - (vii) **शपथ पत्र मूल में**

20. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में संलग्न सभी कागजातों पर वायें तरफ **हस्ताक्षर करना अनिवार्य है** ।

कृ0पृ0उ0....3/

21. अग्रधन की राशि 6/5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र/ बैंक ड्राफ्ट/ किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो, निविदा आमंत्रित करने की तिथि के बाद का बना हुआ ही मान्य होगा । पर्याप्त अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी । निविदा के साथ अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं0 तथा ग्रुप सं0 अंकित कर समर्पित किया जाय।
22. अग्रधन के संबंध में तथा अन्य शर्तें परिमाण विपत्र के साथ अभिलेख में देखी जा सकती है।
23. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा ।
24. निविदा कागजात अध्याय–6 कंडिका–6.11 में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए सभी कागजातों की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है। निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगें एवं संलग्न किये गये कागजात को अंकित विवरणी के अनुसार मिलान कर चेक लिस्ट पर हस्ताक्षर करेंगे एवं एक प्रति हस्ताक्षरित चेक लिस्ट प्राप्त करेंगे अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा ।
25. निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगें एवं यथा निदेशित अभिलेखों / उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर करेंगें अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा ।
26. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का अच्छी तरह निरीक्षण कर लेंगें एवं योजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थल जनित समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं से भलिभाँति अवगत हो लेंगें, इसके आलोक में अपना दर अंकित करेंगें। किसी संवेदक द्वारा इस प्रकार की समस्याओं (यथा श्रमबल, निर्माण सामग्रियों, पहूँच पथ, स्थल पर पानी, कार्य स्थल, प्राक्कलन क्वैरी स्थल एवं अन्य कोई स्थानीय समस्या इत्यादि) के निराकरण हेतु अतिरिक्त दावा/क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा। क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा इस तरह के दावा को उनके स्तर से ही अस्वीकृत / अमान्य कर दिया जायेगा।
27. डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड 1 (एक) वर्ष होगा।
28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fees) एवं स्वामिस्वि (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तद्आलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।
29. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/निविदा तिथि का विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
30. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।
31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगें। कार्य की गुणवत्ता की जाँच सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर अथवा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला से कराना अनिवार्य है।
32. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। कार्य से सम्बन्धित पूर्ण विवरणी परिमाण विपत्र में देखी जा सकती है। संबंधित कार्यो का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
33. संवेदक को कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
34. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 566(भ) दिनांक 17.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं0 448/पटना दिनांक 16.01.2020 अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तद्आलोक मे Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्नप्रकार से लिया जाएगा।

a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

कृ0पृ0उ0....4/

d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से उपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

35. निम्नलिखित आशय का **शपथ पत्र मूल में** समर्पित करना अनिवार्य है–

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।

(ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख',एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

36. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक– एच0क्यू– 1507 पटना, दिनांक– 27/5/22

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मोनिटरिंग शाखा/ कार्य प्रमण्डल– पटना प्रमण्डल/पूर्णियाँ प्रमंडल/ भागलपुर प्रमण्डल/ दरभंगा प्रमण्डल/मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर/मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन एवं राजगीर प्रमण्डल, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक– एच0क्यू– 1507 पटना, दिनांक– 27/5/22

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल– 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल– एवं मोनिटरिंग/ विद्युत/ सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण–1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक– एच0क्यू– 1507 पटना, दिनांक– 27/5/22

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/बाँका/नवगछिया/गया एवं सिवान को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।